Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

सेशन केस संख्या-27/2017, राजस्थान राज्य बनाम बबलु उर्फ सुरेन्द्र व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 74 सपठित धारा 77 साक्ष्य अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दिनांकः-30.05.2026 अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण बरजमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त बबलू उर्फ सुरेन्द्र की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2026 को इस आशय का पेश किया गया कि अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई में डी.डब्ल्यू.1 भंवरलाल तथा डी.डब्ल्यू.2 रतन सिंह के बयान लेखबद्ध करा दिये है। प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य में स्वयं के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 488 रकबा 0.1400 हैक्टेयर वाके माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास से संबंधित राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है जिसे अभियुक्त के साक्ष्य सफाई में पत्रावली पर ग्रहण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पब्लिक डॉक्यूमेन्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसके बनावटी अथवा फर्जी होने की कोई संभावना नहीं है तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त दस्तावेज स्वतः ही प्रदर्शित माने जाने का प्रावधान है इसके लिए पृथक से मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इस कारण दस्तावेज को साक्ष्य सफाई में ग्रहण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साक्ष्य सफाई में दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास खसरा नं. 488 की रकबा 0.1400 हैक्टेयर को स्वीकार फरमाया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2012 DNJ (SC) 152 Jaswant Singh vs. Gurdev Singh & Ors. पेश किया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा।	

Scanned with OKEN Scanner

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

सेशन केस संख्या-27/2017, राजस्थान राज्य बनाम बबलु उर्फ सुरेन्द्र व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 74 सपठित धारा 77 साक्ष्य अधिनियम

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

पक्षकारान के तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रार्थी/अभियुक्त बबलू उर्फ सुरेन्द्र राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्शित करवाना चाहता है तथा उक्त दस्तावेज का स्वतः ही प्रदर्शित माने जाने का प्रावधान होना अभिवचनो व बहस में बताया है। उक्त संदर्भ में पेश उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में "Compromise" को न्यायालय का दस्तावेज होने से प्रमाणित प्रतिलिपि को पब्लिक डॉक्यूमेन्ट माना है तथा उसे साक्ष्य में ग्राहय माना है। उक्त संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया जाए तो उक्त न्यायिक दृष्टान्त में उक्त "Compromise" पूर्व से ही प्रदर्शित होना बताया है जो कि प्रदर्श डी-3 है, जबकि हस्तगत प्रकरण में दस्तावेज का प्रदर्शित होना शेष है। उक्त "Compromise" डिक्री का हिस्सा होना उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माना गया है। अतः उक्त "Compromise" उचित एवं सक्षम स्थान से प्राप्त किया गया हो उक्त संदर्भ में अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में भी दस्तावेज जमाबन्दी पब्लिक डॉक्यूमेन्ट होने से उक्त दस्तावेज उचित एवं सक्षम प्राधिकारी/स्थान से पेश किया गया हो माना जा सकता है, परन्तु दस्तावेज को प्रदर्शित करने के लिए गवाह द्वारा उक्त दस्तावेज को न्यायालय में tender किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से प्रार्थी/अभियुक्त की कोई मदद नहीं करता। हर पब्लिक डॉक्यूमेन्ट स्वयं में ही बिना गवाह द्वारा न्यायालय में टेण्डर किये प्रदर्शित होना माना जावे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त बबलू का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 13/6/24 को पेश हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner